संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अ.प्र./सेल–4/2015/.....91 भोपाल, दिनांक 14/01/2015

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्य प्रदेश।

विषयः– **शासकीय चिकित्सालयों एवं जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में सतत् गुणवत्ता पूर्ण व उच्च श्रेणी की व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में।**

प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में शासकीय चिकित्सालयों एवं जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में सतत् गुणवत्ता पूर्ण व उच्च श्रेणी की व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में समय–समय पर अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है। जिलों में भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों में कुछ कमियां परिलक्षित हुई है, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। निर्देशित किया जाता है कि–

1. चिकित्सालयों में रोगियों को दिये जाने वाले कम्बलों के लिये प्रति कम्बल दो कवर के मान से कवरों की व्यवस्था की जाये। तदोपरांत चादर भी उपलब्ध कराये।
2. नये रोगी के भर्ती होते समय उसे साफ व धुले हुए कवर लगाकर कम्बल दिया जाये। यदि कोई रोगी एक सप्ताह से अधिक समय तक चिकित्सालय में भर्ती रहता है तो कम्बल का कवर प्रति सप्ताह बदला जाये। यदि किसी रोगी के कम्बल का कवर किसी कारणवश मैला हो जाता है, रक्त या अन्य रिसाव के कारण अस्वच्छ हो जाता है तो उसे तत्काल बदलकर साफ धुला कवर लगाया जाये। **इसके लिये वार्ड की प्रभारी स्टाफ नर्स जिम्मेदार होगी।**
3. प्रत्येक वार्ड में इन्जार्च सिस्टर द्वारा रात में भर्ती होने वाले रोगियों के लिये आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में साफ धुली हुई चादरे, तकिया गिलाफ, कम्बल कवर आवश्यक औषधियां एवं अन्य सामग्री की व्यवरथा की जाये।
4. चिकित्सालय के प्रत्येक वार्ड में एक दीवार–घड़ी लगाई जाये तथा यह सुनिश्चित की जाये कि वह सही समय दर्शा रही है एवं कियाशील है। इसकी बैटरी आवश्यकतानुसार समय पर बदली जाये।
5. चिकित्सालयों में प्रत्येक शैय्या के लिए पांच चादरों के मान से चादरें उपलब्ध कराई जाये। चादरें प्रतिदिन बदली जाये। कोई नया मरीज आने पर साफ व धुली हुई चादर बिछाई जाये।
6. प्रत्येक वार्ड में खिड़कियों व दरवाजों पर पर्दे लगाने के लिये पर्याप्त पर्दे की व्यवरथा की जाये। सभी पर्दे प्रति सप्ताह धुलवाये जाये।

7. महिला ओ.पी.डी., मेटरनिटि वार्ड, लेबर रूम व महिला वार्ड में महिलाओं की निजता के लिये पर्दे/स्क्रीन की व्यवस्था की जाये।
8. चिकित्सालय की ओ.टी. में ओ.टी. टेबल उपलब्ध हों। ओ.टी. टेबल के सभी फीचर्स क्रियाशील हो। निरीक्षण के समय पर कई चिकित्सालयों में पाया गया कि हेड या फुट– एण्ड ऊंचा करने के लिये ईटें लगाई जाती है। यह कतई उचित नहीं है। वार्ड में गंभीर रोगियो के लिये जहां आवश्यकता हो एक–दो फाउलर्स बेड उपलब्ध कराये जाये। साथ ही हेड या ऊंचा करने के लिये वुडन ब्लाक्स की व्यवस्था की जाये।
9. जिन चिकित्सालयों में राउन्ड दी क्लाक रेजीडेन्शियल आकस्मिक ड्यूटी लगाई जाती है वहां आकस्मिक चिकित्सको के कक्ष को सुसज्जित रखा जाये। कक्ष में ए. सी., रेफ्रीजरेटर, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर की व्यवस्था की जाये।

संचालक (अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.
भोपाल, दिनांक 14/01/2015

पृ.क्रमांक/अ.प्र./सेल–4/2015/..... 92

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।

संचालक (अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.